न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहारनपुर।

सरकार बनाम हिमांशु

मुकदमा अपराध संख्या– 272/2025
धारा–115(2),352,351(3)बीएनएस
थाना–कुतुबशेर, जिला सहारनपुर

<u>18.03.2026</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **हिमांशु पुत्र चांदकी राम** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 272/2025 अन्तर्गत धारा 115(2),352,351(3)बीएनएस थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर में प्रस्तुत कर जमानत पर अवमुक्त किये जाने की प्रार्थना इस आधार पर की गयी है कि प्रार्थी बेगुनाह है तथा उसको झूठे वाकात पर मुलजिम होना दिखाया गया है। प्रार्थी ने हरगिज वाद उपरोक्त से सम्बन्धित कोई अपराध किसी प्रकार से नहीं किया है। प्रार्थी अपनी जमानत के लिये उचित जमानत पेश करने को तैयार है। अतः जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा आज न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया है तत्पश्चात प्रार्थी/अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

अभियोजन पक्ष की आख्यानुसार अपराध जमानतीय प्रकृति का है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा आज न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया है। प्राथमिकी अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध मारपीट करने, गाली गलौज करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप है। प्रस्तुत प्रकरण में आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है तथा अधिकतम सात वर्ष के कारावास से दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **हिमांशु पुत्र चांदकी राम** का जमानत प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा **मु0 20 हजार रूपये** का एक व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(मिनाक्षी सिन्हा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सहारनपुर।
J.O.CODE–UP1950